



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 कार्तिक 1943 (श10)

(सं0 पटना 884) पटना, बुधवार, 27 अक्टूबर 2021

IE 2@vkjki&01&39@2018&9132@lk0ç0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

19 अगस्त 2021

श्री दिनेश राम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1196/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही, मधुबनी के विरुद्ध सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत 14वीं लोकसभा के माननीय पूर्व सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा अनुशंसित/स्वीकृत प्रासंगिक योजनाएँ वर्षोवाद भी पूर्ण नहीं होने का आरोपों के लिए समाहरणालय, मधुबनी (जिला योजना कार्यालय) के पत्रांक 1207/जि0यो0 दिनांक 30.11.2016 द्वारा गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 386124 दिनांक 28.08.2018 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त आरोप-पत्र एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों/कागजातों के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित आरोप-पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री राम के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप है :-

आरोप-01 :- बाबूबरही प्रखंड के अन्तर्गत बलानसेर में रामनारायण सिंह घर के निकट सामुदायिक भवन का निर्माण।

आरोप-02 :- बाबूबरही प्रखंड के अन्तर्गत कबियाही पश्चिम टोला में मदन पासवान घर के निकट सामुदायिक भवन का निर्माण।

आरोप-03 :- योजना संख्या-04/08-09 बाबूबरही प्रखंड के भटचौरा में सामुदायिक भवन का निर्माण।

विभागीय पत्रांक 15058 दिनांक 05.11.2019 द्वारा श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री राम के पत्रांक 85 दिनांक 30.12.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया है।

विभागीय पत्रांक 2081 दिनांक 10.02.2020 द्वारा श्री राम के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 1293 दिनांक 27.07.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षापरंत पाया गया कि बाबूबरही प्रखंड के अन्तर्गत बलानसेर में रामनारायण सिंह घर के निकट सामुदायिक भवन का निर्माण निर्माण कार्य से संबंधित योजना के कार्यान्वयन हेतु मो0 1,57,500.00 रु0 अग्रिम दिया गया था, जिसके आलोक में कार्य कराते हुए मो0 1,27,268.00 रु0 का मापीपुस्त दर्ज किया गया है, जो कि बाबूबरही प्रखंड के अन्तर्गत कबियाही पश्चिम टोला में मदन पासवान घर के निकट सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य योजना में

मो0 1,07,500.00 रु0 अग्रिम के विरुद्ध शत-प्रतिशत मापी प्राप्त नहीं किया गया है। योजना संख्या 04/08-09 बाबूबरही प्रखंड के भटचौरा में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य में मो0 82,500.00 रु0 अग्रिम के विरुद्ध शत-प्रतिशत मापी प्राप्त नहीं किया गया। श्री राम के द्वारा अभिकर्ता को अग्रिम राशि के विरुद्ध शत-प्रतिशत कार्य हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। इनके द्वारा दी गई अग्रिम के विरुद्ध मापी पुस्त संधारण इनके कार्यकाल के बाद किया गया। वर्णित तीनों योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन में उदासीनता एवं पर्यवेक्षण का अभाव पाया गया है। श्री राम द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके कारण से योजना को ससमय पूर्ण नहीं किया जा सका। स्पष्टतया श्री राम के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं कार्यों के पर्यवेक्षण में शिथिलता बरती गई है। ध्यातव्य है कि सांसद मद से लोक कल्याणकारी योजनाओं का कार्य कराया जाता है। श्री राम द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण योजनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया एवं निर्माण कार्य के कार्य में लापरवाही बरती गयी, जो एक लोक सेवक के लिए कर्तव्यहीनता का द्योतक है। इनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के प्रतिकूल है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री राम के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत "निन्दन (आरोप वर्ष 2008-09)" का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री दिनेश राम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1196/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही, मधुबनी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

(i) fullnu %vkjki o" 2008&09%

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 884-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>